चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 27.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 30.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव की उपस्थिति में पुलिस लाइन चित्रकूट में नियुक्त मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस से उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस पद पर पदोन्नति पाने वाले श्री विजय बहादुर मौर्य के कन्धों पर स्टार लगाकर अलंकृत किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रोन्नति पाने वाले उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस श्री विजय बहादुर मौर्य का मुंह मीठा कराया गया तथा पूर्ण मनोयोग से अपने दायित्व को निर्वहन करने हेतु बताते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी।

(3). आज दिनाँक 30.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों एवं उपस्थित पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी साथ ही साथ रैतिक परेड की तैयारी का जायजा लेकर प्रतिसार निरीक्षक को सुधार हेतु निर्देशित किया गया तथा परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन,एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों,112 पीआरवी वाहन तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को वाहनों की कमियों को दूर करने हेतु निर्देशित किया गया तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर,आरटीसी बैरक,सीपीसी कैन्टीन,मंदिर,भोजनालय,ऑर्मरी का निरीक्षण किया गया।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा,प्रतिसार निरीक्षक श्री रामशीष यादव,प्रभारी आरटीसी शिवमूरत यादव व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।
आवेदिका गौरा देवी पत्नी धर्मेन्द्र सिंह निवासी पहाड़ी जनपद चित्रकूट ने अपने पति के विरूद्ध अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने व घर से निकालने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी के मार्गदर्शन में महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र
2.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
3.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक पाल तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेषमणि शुक्ला द्वारा आज दिनांक 30.01.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 119/2022 धारा 304(2) भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त बबोचन

पुत्र धर्मपाल निवासी इटवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.07.2022 को वादी मइयादीन पुत्र रामप्रसाद निवासी सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि दिनांक 11.07.2022 को अभियुक्तगणों द्वारा वादी की भांजी नीलू उम्र 17 वर्ष को डण्डे से मार मारकर हत्या कर देना। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 119/2022 धारा 304(2) भा0द0वि0 बनाम बबोचन,कामता पुत्रगण धर्मपाल व केसरिया पत्नी दिनेश यादव पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री राकेश मौर्य द्वारा की गई। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त से आरोपी कामता पुत्र धर्मपाल व केसरिया पत्नी दिनेश की नामजदगी गलत करते हुए मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 02.09.2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनाँक 30.01.2026 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 14/2013 धारा 386,504,506 भा0द0वि0 व 12 डी0ए0ए0 एक्ट के आरोपी अभियुक्त भगवानदास पटेल पुत्र ननकू पटेल निवासी ग्राम घूरेटनपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.01.2013 को वादी श्री रवि प्रकाश पुत्र सूर्यबली निवासी पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि भगवानदास पुत्र ननकू पटेल निवासी ग्राम घूरेटनपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट एवं मो0नं0 9935445802 से स्वदेश उर्फ बलखड़िया द्वारा गाली गलौज करना करते हुए मृत्यु का डर दिखाकर जबरन वसूली करना तथा जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 14/2013 धारा 386,504,506 भा0द0वि0 व 12 डी0ए0ए0 एक्ट बनाम उपरोक्त अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री मुन्नीलाल दुबे द्वारा सम्पादित की गई तथा दिनांक 02.03.2013 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(7). आज दिनांक 30.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अमर उजाला की पुलिस पाठशाला में गया प्रसाद महाविद्यालय चित्रकूट में छात्राओं को यातायात सुरक्षा,साइबर अपराध एवं महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक किया गया । इस दौरान पुलिस ने मोबाइल फोन के संतुलित प्रयोग, साइबर ठगी, महिला सुरक्षा, यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। कहा कि कानून का पालन करने के लिए नैतिक जिम्मेदारी सभी को निभानी होगी। बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस विभाग पूरा प्रयास कर रही है। जनता को कानून का पालन करने के लिए नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिना जनता के सहयोग से अपराध पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। सभ्य समाज जहां होगा, वहां पर कम अपराध होगा। पुलिस, जनता की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रही असुरक्षा की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचित करना चाहिए। दंड संहिता के नाम बदलकर अब न्यास संहिता कर दिया गया है। इस का मतलब है कि सभी को न्याय दिलाया जा सके। तथा साइबर अपराधी लालच देकर लोगों को ठगते हैं,जिसमें पढ़े लिखे भी लोग फंस

जाते हैं। बिना मेहनत के धन या उपहार का प्रलोभन मिलने पर संतर्क रहने और अनजान फोन कॉल या लिंक पर भरोसा न करने की सलाह दी गई। ठगी होने पर 1930 में संपर्क करें तथा महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित हेल्पलाइन नं0 1090 व 181 के बारे में बताया गया।

प्रधानाचार्य डॉ0 कविता गौतम ने कहा कि पुलिस की पाठशाला से प्राप्त ज्ञान का उपयोग स्वयं और समाज को सुरक्षित बनाने के लिए करना चाहिए।

इस मौके पर महाविद्यालय के शिक्षक, शिव विजय सोलंकी, मनीष शुक्ल, किरन पांडेय, लवलेश रैकवार, कल्पना शिवहरे, अरविंद कुमार आदि मौजूद रहें।